आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–62 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पा उरांव, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पंचायत–भठखिजरी–इरगांव, प्रखण्ड–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं एवं शिकायतकर्ता भी उपस्थित हैं। आयोग ने पिछले सुनवाई में कार्यालय के कर्मी को यह निर्देश दिया था कि वे शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड से इस बात का मिलान करें कि उन्हें कब राशन नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें मार्च, 2022, सितंबर, 2022 एवं दिसंबर, 2022 में राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग सिर्फ उसी शिकायत पर सुनवाई कर सकता है, जो इस वाद में मूल शिकायत है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के तर्क से आयोग सहमत है। आयोग ने जब शिकायतकर्ता के मूल आवेदन का अवलोकन किया तो पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने मूल आवेदन में अगस्त एवं सितंबर, 2023 में राशन की कटौती की बात कही है एवं ऐसे में अब मार्च 2022, सितंबर 2022 एवं दिसंबर, 2022 का उल्लेख करने को आयोग मूल शिकायत से इतर पक्ष रखने का प्रयास मानता है। आयोग शिकायतकर्ताओं को यह सलाह एवं निर्देश देता है कि यदि उन्हें मार्च, 2022, सितंबर, 2022 एवं दिसंबर, 2022 के संदर्भ की शिकायत करनी है, तो उन्हें नये सिरे से नया आवेदन पहले जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लोहरदगा को देना होगा एवं उन्हें यदि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, तो वे आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे में यदि माह अगस्त एवं सितंबर, 2023 का राशन सभी शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है, तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण आयोग को भेजें। आयोग ने इससे पूर्व सभी शिकायतकर्ताओं को यह निर्देश दिया था कि वे अपना राशन कार्ड लेकर चलें जाएँ एवं जिनके राशन कार्ड में अगस्त एवं सितंबर, 2023 के राशन नहीं दिये जाने की इंट्री है उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के निर्देश के आलोक में सिर्फ 06 लोग आए एवं जो 06 लोग आए, उनके राशन कार्ड में अगस्त एवं सितंबर, 2023 में राशन दिये जाने का प्रमाण उपलब्ध है। आयोग न्याय के हित में एक अंतिम अवसर देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	निर्देश देता है कि वे दिनांक–17.01.2024 को पूर्वाह्न 09:00 बजे सम्बन्धित राशन डीलर के दुकान पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में सभी लाभुकों को माह अगस्त एवं सितंबर, 2023 में राशन उपलब्ध कराने का प्रमाण चेक करें एवं जिन राशन कार्डधारियों को अगस्त एवं सितंबर, 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस मामले की आयोग कई सुनवाई कर चुका है। अतः आयोग 17 जनवरी, 2024 का अंतिम अवसर शिकायतकर्ता को दे रहा है। जो शिकायतकर्ता उस दिन उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें नये सिरे से पुनः नया वाद जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ दर्ज कराना होगा। आज के आदेश का अनुपालन का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी दिनांक–30.01.2024 को आयोग को समर्पित करेंगे। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx146	